संख्या वे0आ0-1-1802/दस-34(एम0)-83

प्रेषक,

जगमोहन लाल बजाज,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 1983

विषय :--द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति ।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0--1590/दस-42(एम0) 1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों में लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्गों में पदों के पदनाम, न्यूनतम अर्हतायें एवं अनुभव, भर्ती की विधि तथा नये वेतनमान संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं । उक्त संवर्गों में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को जिनके लिये पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें अब निर्धारित अर्हताओं से भिन्न हैं, उनके पुराने वेतनमान को दृष्टिगत रखते हुये सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किये गये हैं । साथ ही साथ सम्बन्धित शासनादेशों में यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि भविष्य में उक्त पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त/प्रोन्नत किया जाय जो उक्त पदों के लिए अब निर्धारित अर्हतायें/अनुभव रखते हों ।

2--लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्गों में भावी नियुक्तियों हेतु उक्त प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कठिनाई बतलाई गयी है कि उक्त प्रतिबन्धों के फलस्वरूप ऐसे पदधारक जो दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के पूर्व उक्त पदों पर नियुक्त किये जा चुके हैं, पद के लिये अब निर्धारित वेतनमान अथवा उच्च पदों पर पदोन्नति से वंचित हो जायेंगे और सेवानिवृत्ति तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे । समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त सम्बन्धित शासनादेशों के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किये हैं कि :--

(1) ऐसे कर्मचारियों पर जो शासकीय संकल्प के दिनांक 29 सितम्बर, 1981 तक लेखा/सांख्यिकीय/लेखा सम्परीक्षा संवर्ग के पदों पर पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किये गये हैं, संलग्नक में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा और उन्हें सम्बन्धित पद के लिये स्वीकृत नया वेतनमान अथवा वैयक्तिक वेतनमान, जो भी लाभप्रद हो, अनुमन्य होगा ।

(2) ऐसे कर्मचारियों को अपने संवर्ग में, प्रोन्नति के लिये भी अर्ह माना जायेगा, भले ही उनके पास वेतन आयोग द्वारा संस्तुत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता न हो, किन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई सेवा अवधि अब निर्धारित की गई हो, तो उन्हें उससे छूट नहीं दी जायेगी । उदाहरण स्वरूप, लेखा संवर्ग में कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद के लिए अब एकाउन्टेन्सी के साथ इन्टरमीडिएट कामर्स की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित है और लेखा लिपिक के पद पर किसी कर्मचारी को तभी प्रोन्नत किया जा सकता है, जब उसने कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । यदि कोई कनिष्ठ लेखा लिपिक इन्टरमीडिएट आर्ट अथवा साइन्स से उत्तीर्ण हो और उसे दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के पूर्व विधिवत नियुक्त किया गया है, तो उस पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध लागू न होगा, किन्तु कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर ही उसे लेखा लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया जा सकेगा ।

(3) दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के बाद लेखा/सांख्यिकीय/लेखा सम्परीक्षा संवर्ग में पदों पर वही नई नियुक्तियां नियमित मानी जायेंगी, जो नई निर्धारित अर्हताओं के अनुसार की गई हों ।

3--इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिकांश विभागों में पहले लेखा और लिपिकीय कर्मचारियों का एक सम्मिलित संवर्ग था और उसी संवर्ग से लेखा तथा लिपिकीय पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति की जाती थी और लिपिकीय पदों से लेखा सम्बन्धी पदों पर और लेखा सम्बन्धी पदों से लिपिकीय पदों पर स्थानान्तरण हुआ करता था । वेतन आयोग की संस्तुति पर शासन के निर्णय के अनुसार अब लेखा तथा लिपिकीय पदों के अलग-अलग संवर्ग होंगे और लेखा के पद से लिपिकीय पद पर अथवा लिपिकीय पद से लेखा के पद पर स्थानान्तरण सम्भव नहीं होगा । अतः यदि आपके विभाग में अभी तक लेखा से सम्बन्धित पदों का, लिपिकीय पदों से प्रथक संवर्ग न बना हो तो कृपया इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें तथा सेवा नियमावली में भी तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जाय ।

Scanned by CamScanner

[illegible]--आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णयानुसार उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को नये वेतनमानों में पुनः निर्धारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज,
सचिव।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संख्या वे०आ०-1-1802 (1)/दस-34 (एम)/1983, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार-1, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
रमाशंकर मेहरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी।

Scanned by CamScanner

संलग्नक

लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा से सम्बन्धित संवर्गों के लिये स्वीकृत पदनाम, अर्हतायें, भर्ती का विधि तथा नये वेतनमान

पदनाम	भर्ती की विधि	अर्हतायें	नया वेतनमान
1	2	3	4
	(क) लेखा संवर्ग के पद		(रु0)
1—कनिष्ठ लेखा लिपिक	सीधी भर्ती	इण्टरमीडिएट कामर्स (एकाउन्टेन्सी के साथ)	354–550
2—लेखा लिपिक	पदोन्नति द्वारा : ऐसे कनिष्ठ लेखा लिपिकों में से जिन्हें अपने पद का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।		430–685
3—सहायक लेखाकार	पदोन्नति द्वारा : ऐसे लेखा लिपिकों में से जिन्हें लेखा कार्य का 7 वर्ष का अनुभव हो। अथवा सीधी भर्ती	बी0 काम0 (एकाउन्टेन्सी के साथ)	470–735 (विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में रु0 515–860)
4—लेखाकार	पदोन्नति द्वारा : ऐसे सहायक लेखाकारों में से जिन्हें अपने पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। अथवा सीधी भर्ती	डी0टी0ई0 या एम0 काम0 (बी0 काम0 में एकाउन्टेन्सी के साथ)	570–1100
	(ख) सांख्यिकी संवर्ग के पद		
1—अन्वेषक-कम-संगणक	सीधी भर्ती : लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अर्थ एवं संख्या निदेशालय के माध्यम से।	गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक।	470–735
2—सांख्यिकी सहायक	पदोन्नति द्वारा : अन्वेषक-कम-संगणक के पद से अथवा सीधी भर्ती : लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अर्थ एवं संख्या निदेशालय के माध्यम से।	गणित, सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।	570–1100
	(ग) लेखा परीक्षा संवर्ग के पद		
1—लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती : लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा स्थानीय निधि लेखा या सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के माध्यम से।	आडिट/एकाउन्टेन्सी के साथ बी0 काम0	470–735
2—ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	पदोन्नति द्वारा : लेखा परीक्षकों में से अथवा स्थानीय निधि लेखा या सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के माध्यम से।		570–1100

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 95 सा0 वित्त—16-8-83 (1769)—1983—10,000 (मैग0)।

Scanned by CamScanner